

पश्चिम मध्य रेल

क्र. जबल/का/820/भर्ती/एक्ट अप्रें./अधिसूचना 01/2016-17 वर्ष

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
कार्मिक शाखा, जबलपुर
दिनांक : 05.10.2016

विज्ञापन क्रमांक 01/2016-17/जबलपुर मंडल

विषय :- अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत एक्ट प्रशिक्षुओं (ट्रेड अप्रेंटिस) की भर्ती : पश्चिम मध्य रेल - जबलपुर मंडल ।

00

अप्रेंटिस एक्ट 1961 तथा अप्रेंटिस नियम 1962 के अधीन प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए जबलपुर मंडल में 145 एक्ट प्रशिक्षुओं की भर्ती हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यदि प्रोफार्मा में उल्लेखित कोई आवश्यक कागजात संलग्न नहीं किया गया हो तो आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा ।

1. अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु विभागवार निम्न कोटियों में प्रशिक्षुओं की भर्ती निम्नानुसार पदों पर होगी :-

क्र.	ट्रेनिंग का स्थान	ट्रेड	पदों की संख्या					एन.सी.सी.टी. / एस.सी.सी.टी. से मान्यता प्राप्त आवश्यक आई.टी.आई. ट्रेड
			सामा.	अजा.	अजजा	अ.पि.व.	योग	
1	डीजल सेड. न्यू कटनी जंक्शन	मैकेनिक विंग						
		टेक्नीशियन / फिटर	23	7	3	12	45	डीजल मैकेनिकल
		वेल्डर	2	-	-	-	2	वेल्डर
		विद्युत विंग						
2	सी.एम्.डब्ल्यू न्यू कटनी जंक्शन	फिटर	27	8	4	14	53	फिटर
		वेल्डर	3	1	-	2	6	वेल्डर
3	टी.आर.एस न्यू कटनी जंक्शन	टेक्नीशियन	12	3	2	6	23	इलेक्ट्रिशियन
		कुल योग	76	21	10	38	145	

- 1.1 शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में से फिटर के एक पद हेतु इसके लिए केवल लोको मोटर अक्षम या सेरेवल पॉलिसी एवं बहरे विकलांग उम्मीदवार जो 40 प्रतिशत तथा उससे अधिक हो आवेदन हेतु योग्य होंगे तथा इलेक्ट्रिशियन के एक पद हेतु इसके लिए केवल अस्थि दोष विकलांग उम्मीदवार (OH) जो 40 प्रतिशत तथा उससे अधिक हो आवेदन हेतु योग्य होंगे ।
- 1.2 निम्नलिखित विवरण के अनुसार अप्रेंटिस हेतु भूतपूर्व कर्मचारी, उनके बच्चों तथा आर्म फोर्स के जवानों के बच्चों हेतु 3 प्रतिशत आरक्षित रहेंगे (I) प्रभावित/अपंग भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चे जिसमें शांतिकाल के दौरान प्रभावित/अपंग भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चे भी शामिल हैं (II)

भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चे (iii) सेवारत जवानों के बच्चे (iv) सेवारत अधिकारियों के बच्चे (v) भूतपूर्व कर्मचारी ।

2. आयु सीमा की गणना :- दिनांक 01.07.2016 को उम्मीदवार 15 वर्ष की आयु पूर्ण किया तथा 24 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया होना चाहिए।
 - 2.1 अजा/अजजा उम्मीदवारों को 05 वर्ष तक अधिकतम आयु सीमा में छुट दी गई है।
 - 2.2 अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 03 वर्ष तक अधिकतम आयु सीमा में छुट दी गई है।
 - 2.3 शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छुट दी गई है।
 3. शैक्षणिक योग्यता :- मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या समकक्ष परीक्षा (10+2 परीक्षा प्रणाली) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए तथा संबंधित ट्रेड में आई.टी.आई. जिसे एन.सी.वी.टी./एस.सी.वी.टी. से मान्यता प्राप्त हो (सिर्फ प्रिंसीपल द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे) में पास हो।
 4. प्रशिक्षण अवधि :- आर.डी.ए.टी./कानपुर के नियमानुसार एवं रेलवे बोर्ड से जारी निर्देशानुसार।
 5. पारिश्रमिक :- वर्तमान प्रचलित नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।
 6. आनलाइन आवेदन करने तरीका :- आवेदन पत्र एमपीआनलाइन पोर्टल के माध्यम आवेदन भरा जायेगा। प्रत्येक उम्मीदवार को कुल 170/-रुपये का भुगतान आनलाइन करना होगा, जिसमें में 100 /- रुपये प्रक्रिया शुल्क के रूप में मंडल को प्रदान किया जायेगा तथा 70/-रुपये एमपी आनलाइन को पोर्टल शुल्क के रूप में प्राप्त होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक विकलांग व महिला उम्मीदवारों के लिए प्रक्रिया शुल्क में छुट है, इन्हे सिर्फ पोर्टल शुल्क के रूप में 70/- रुपये लिया जायेगा। इच्छुक उम्मीदवार www.mponline.gov.in वेबसाइट में जाकर Home page में application option में जाकर west central railway click करें।
 7. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आवश्यक होना चाहिए कि वे योग्यता तथा अन्य अर्हता पूरे कर लिए हैं। अपेक्षित योग्यता पूरा नहीं होने पर पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर मंडल द्वारा किसी भी स्तर पर आवेदन को रद्द करने का अधिकार रखता है तथा यदि भूलवश भी भर्ती हो गई हो तो उन उम्मीदवारों को बिना किसी सूचना को बर्खास्त कर सकता है।
 8. सभी प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए तथा उस पर मुहर लगी होने चाहिए एवं सत्यापित करने वाले अधिकारी का नाम लिखा होना चाहिए।
 9. भर्ती की प्रणाली :-
 - 9.1 एक्ट प्रशिक्षुओं का घयन 10वीं या समकक्ष परीक्षा (10+2 परीक्षा प्रणाली) के प्राप्तांकों एवं आई.टी.आई परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर किया जायेगा।
 - 9.2 अपेक्षित एक्ट अप्रेंटिस की संख्या के 1.5 गुणांक के बराबर उम्मीदवारों को मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन तथा उनके शारीरिक स्वास्थ्य की परीक्षा के लिए बुलावा जाएगा।
 - 9.3 उम्मीदवारों की अंतिम सूचीबद्धता मंडल के लिए प्रयोज्य उपयुक्त चिकित्सा जाँच के बाद ही होगी।
 - 9.4 सत्यापन के लिए आने वाले उम्मीदवारों को दैनिक भत्ता/ट्रैवेलिंग भत्ता नहीं दिया जाएगा।
 - 9.5 होस्टल आवास प्रदान नहीं किया जाएगा तथा अप्रेंटिस एक्ट 1981 के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान घयनित उम्मीदवारों को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- नोट :- यदि घयन के समय यथोक्त भर्ती प्रक्रिया में नीतिगत परिवर्तन होते हैं तो तदनुसार घयन का मापदंड अपनाया जायेगा।

10. एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स पास करने के बाद रेलवे में नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं है।
11. ट्रेनिंग का करार :- उपयुक्त पदनाम वाले ट्रेडमार्क अप्रेंटिस ट्रेनिंग शुरू होने के पहले घयनित उम्मीदवार या यदि अभी वह नाबालिग है तो उसके अभिभावक को एम्प्लॉयर के साथ अप्रेंटिस-शिप का करार करना होगा।
12. चिकित्सा प्रशिक्षण :- रेलवे द्वारा मेडिकल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिये जाने के बाद ही उम्मीदवार को प्रशिक्षण हेतु घयनित माना जाएगा। यदि वह शारीरिक दृष्टि से अनुत्तीर्ण हुआ तो उसकी प्रशिक्षुता समाप्त कर दी जाएगी एवं उसका कोई भी मुआवजा/कम्पन्सेशन नहीं दिया जाएगा।
- 12.2 प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर प्रशिक्षुता करार समाप्त हो जाएगा। प्रशिक्षुओं को अपना प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें महानिदेशक/डायरेक्टर जनरल रोजगार प्रशिक्षण श्रम व रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर पर दस्तकारी परीक्षा देनी होगी। सफल उम्मीदवार को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा परन्तु प्रशिक्षण के बाद रेलवे में नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं है।
13. बिना कारण बताते हुए उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार या अस्वीकार किया जायेगा। उम्मीदवारों के घयन तथा उनके प्रशिक्षण के संबंध में प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा। यदि यह पाया गया कि घयनित उम्मीदवार ने अपने विश्वनीयता के साक्ष्य में गलत/झूठे सूचनाएं दी हैं तो उन्हें किसी भी स्तर पर बिना सूचना दिये प्रशिक्षण से निकाल दिया जाएगा।

6.10.16
(सुप्रकाश)
कृते मंत्रे.प्र.बंधक (का.) जबलपुर